उत्तर प्रदेश शासन
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
संख्या-110/2018/3122 /89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-2(35)/2012टीसी-1
लखनऊः दिनांक 14 सितम्बर, 2018

कार्यालय-आदेश

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चरगावां-गोरखपुर में तैनाती की अवधि के दौरान की गयी वित्तीय अनियमितताओं यथा- जिलाधिकारी द्वारा क्रय समिति का गठन न कराने एवं न ही क्रय समिति की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति लिये जाने, जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्तीय सेवा का राजपत्रित अधिकारी टेण्डर प्रक्रिया में शामिल न किये जाने, जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के फर्जी हस्ताक्षर कर टेण्डर खोलने की कार्यवाही पूर्ण किये जाने, टेण्डर हेतु विज्ञापन, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से न किये जाने एवं न ही दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने, रा0औ0प्र0 संस्थान, रेलवे कालोनी, खजनी एवं कैम्पियरगंज-गोरखपुर के पी0पी0पी0 योजनान्तर्गत क्रय की गयी साज-सज्जा/निर्माण का अभिलेख संबंधित प्रधानाचार्यो को न उपलब्ध कराने, पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत साज-सज्जा का क्रय आई0एम0सी0 चेयरमैन से संबंधित फर्म से करने इत्यादि कृत्यों के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने के कारण सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत श्री गोविन्द कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, माधोनगर-महराजगंज को शासन के कार्यालय आदेश संख्या- 4391/89- व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016-2(35)/2012टीसी-1 दिनांक 06-01-2017 तथा यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/2017/58/89- व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2017-2(35)/2012टीसी-I दिनांक 13-01-2017 द्वारा निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया था।

2- श्री गोविन्द कुमार, प्रधानाचार्य के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में संयुक्त निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा शासन द्वारा अनुमोदित आरोप-पत्र जॉच हेतु जॉच अधिकारी को प्रेषित करते हुए जॉचोपरान्त जॉच आख्या शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।

3- श्री गोविन्द कुमार, प्रधानाचार्य (निलम्बित) के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक जॉच में जॉच अधिकारी, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षु/शिशिक्षु) वाराणसी मण्डल वाराणसी की जॉच आख्या उनके पत्र संख्या- 036/सं0नि0का0/जॉच/गोविन्द कुमार/प्रधा0/नि0/ 2017/ 1289 दिनांक 19-09-2017 द्वारा प्राप्त हुई। जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये 10 आरोपो में से आरोप संख्या-1,2,3,5,6 व 7 पूर्ण रूप से सिद्ध पाये गये तथा आरोप संख्या-4,8,एवं 9 आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये एवं आरोप संख्या 10 सिद्ध नहीं पाया गया। अतः शासन के पत्र संख्या- 3542/89- व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2017-2(35)/2012 टीसी-I दिनांक 12-10-2017 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या की छायाप्रति अपचारी अधिकारी को प्रेषित करते हुए जॉच आख्या में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन 15 दिन में मॉगा गया। उक्त के क्रम में अपचारी अधिकरी के पत्र दिनांक 25-10-2017 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन प्राप्त हुआ।

4- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्ध सिद्ध पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपचारी अधिकारी श्री गोविन्द कुमार, प्रधानाचार्य (निलम्बित) के विरूद्ध निम्न दण्ड दिए जाने का विनिश्चय किया गयाः-

1. उनकी एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव के साथ स्थायी रूप से रोक दी जाय।
2. उक्त कृत्य हेतु उन्हे परिनिन्दा प्रविष्टि दी जाय।

5- शासन द्वारा विनिश्चय किए गये दण्ड पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की सहमति शासन के पत्र संख्या- 4008/89- व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0- 2017-2(35)/2012टीसी-I दिनांक 12-02-2018 द्वारा मॉगी गयी। उक्त के क्रम में आयोग के पत्र संख्या-329/03/ए0डी0सी0 /एस-9/2017-18 दिनांक 15-03-2018 द्वारा मॉगी गयी सूचनाएं शासन के पत्र संख्या- 1281/89- व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-2(35)/2012टीसी दिनांक 12-04-2018 तथा पुनः आयोग के पत्र संख्या- 329(I)/03/ए0डी0सी0/एस-9/2017-18 दिनांक 18-05-2018 द्वारा वांछित सूचना शासन के पत्र संख्या- 1878/89- व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-2(35)/2012टीसी दिनांक 04-06-2018 द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया। 2/-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त के क्रम में जॉच की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत कार्यालय-आदेश संख्या- 2110/89- व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-2(35)/2012 टीसी-। दिनांक 06-07-2018 द्वारा श्री गोविन्द कुमार के निलम्बन आदेश को तात्कालिक प्रभाव से स्थगित रखते हुए इस शर्त के साथ अनन्तिम रूप से बहाल किया गया कि उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 6-01-2017 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी तथा लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त श्री गोविन्द कुमार के विरूद्ध दण्डादेश पारित करते हुए संस्थित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किए जाने पर तत्समय विचार किया जायेगा।

7- शासन द्वारा विनिश्चय किए गये दण्ड पर लोक सेवाआयोग उ0प्र0 इलाहाबाद का परामर्श आयोग के पत्र संख्या-329(II)/ए0डी0सी0/एस-9/2017-18 दिनांक 16-08-2018 द्वारा प्राप्त हुआ जिसमे दिए गये मा0 आयोग के परामर्श के क्रम में अपचारी अधिकारी श्री गोविन्द कुमार प्रधानाचार्य, सम्बद्ध प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय के विरूद्ध कार्यलाय ज्ञाप संख्या-4391/89- व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016-2(35)/2012टीसी- । दिनांक 06-01-2017 तथा यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/2017/58/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2017-2(35)/2012टीसी-। दिनांक 13-01-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही तथा निलम्बन आदेश को अन्तिम रूप से समाप्त करते हुए उक्त कारित कार्य हेतु एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव के साथ स्थायी रूप से रोकते हुए परिनिन्दित किये जाने का दण्डादेश पारित किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

भुवनेश कुमार
सचिव

<u>संख्या व दिनांक/तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ को 02 अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बनिधत अधिकारी को उक्त पत्र की प्राप्त कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
3. श्री गोविन्द कुमार प्रधानाचार्य श्रेणी-2 की चरित्र पंजिका में रखने हेतु निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0 को।
4. सचिव, लोक सेवाआयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. कोषाधिकारी महराजगंज ।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डा0 संदीप परमार)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।